भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा

<u>अतारांकित प्रश्न सं.167</u>

(जिसका उत्तर सोमवार, 25 नवंबर, 2024/04 अग्रहायण, 1946(शक) को दिया जाना है)

वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर में संशोधन

167. **श्री इटेला राजेंदर:**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों के वरिष्ठ नागरिक कल्याण संघों ने वर्तमान वित्त वर्ष से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर (आई-टी) में संशोधन की मांग की है;

(ख) क्या सरकार का विचार यह है कि वरिष्ठ नागरिकों को 7.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कर छूट प्रदान की जाएगी और 10 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर 5 प्रतिशत आयकर लगाया जाएगा;

(ग) क्या वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र निवेश पर कर कटौती को इस वित्त वर्ष से 1.5 लाख रुपए से संशोधित कर 3 लाख रुपए किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क) प्रत्येक वर्ष बजटीय प्रक्रिया के एक भाग के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन हेतु अनेक प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तथा उन पर चर्चा की जाती है, तथा ऐसी चर्चाओं के परिणामों को उस वर्ष प्रस्तुत होने वाले वित्त विधेयक में दर्शाया जाता है।

(ख), (ग) एवं (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।